

राजस्थान सरकार  
समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक एफ.11 (3) 10/मो./मबावि/99/37796

जयपुर, दिनांक 27.5.2010

आदेश

प्रदेश में व्याप्त भीषण गर्मी को देखते हुए आँगनबाड़ी केन्द्रों के वर्तमान कार्य समय में संशोधन कर अब कार्यसमय प्रातः 7.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक तुरन्त प्रभाव से एतद्द्वारा किया जाता है। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेंगे।

*(अति)*

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.11 (3) 10/मो./मबावि/9937797- जयपुर, दिनांक 27.5.2010

38292

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, म.बा.वि. जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव, म.बा.वि. जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर।
7. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
8. समस्त, बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ।
9. कम्प्यूटर शाखा, मुख्यालय।

कृपया किताब की वेबसाइट पर डालें।

*K 124*

अति.निदेशक (शिशु)